

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

पत्रांक :- आर.(एस.बी.टी.ई.)-01/2011 पार्ट-3- 1378

/पटना, दिनांक :- 15.07.2021

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक,
सह सदस्य सचिव, संबंधन समिति,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

Principal
J.P. Institute of Technology, Biharsharif, Nalanda (198)

विषय :- J.P. Institute of Technology, Biharsharif, Nalanda (198) को सत्र 2021-2022 के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद से औपबंधिक संबंधन का विस्तार करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के संबंधन समिति द्वारा दिनांक-09/07/2021 के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार J.P. Institute of Technology, Biharsharif, Nalanda (198) को अभातशिप के पत्रांक-F.No.-Northern/1-9318263108/2021/EOA दिनांक-29.06.2021 द्वारा प्राप्त Extension of Approval (EOA) एवं शैक्षणिक अनुश्रवण समिति का **Online** निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक-08.07.2021 के आधार पर अंकित शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु सत्र 2021-2022 के लिए राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना से निम्नलिखित शर्तों के साथ औपबंधिक संबंधन विस्तारित की जाती है।

- (1) संस्थान को विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग नियमावली तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय एवं अभातशिप के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- (2) संस्थान को पाठ्यक्रम, परीक्षा एवं ऐकेडमिक कैलेंडर का अनुपालन राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के निदेशानुसार सुनिश्चित करना होगा।
- (3) विभागीय अधिसूचना संख्या-2143, दिनांक-12/10/07 द्वारा अधिसूचित संबंधता Norms & Guidelines में उल्लेखित सभी बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना संस्थान का दायित्व होगा।
 - i प्रत्येक निजी संस्थानों के वेबसाईट पर संस्थानों में कार्यरत शिक्षक/अनुदेशक/लिपिक/प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान एवं तकनीकी) आदि का नाम, फोटो, पदनाम के साथ upload किया जाए।
 - ii सभी निजी संस्थानों के प्राचार्य को यह निदेश दिया जाता है कि संस्थान के निरीक्षण के क्रम में सभी कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी संस्थान में उपस्थित रहेंगे।
 - iii निरीक्षण के क्रम में प्रयोगशाला/कर्मशाला में उपलब्ध उपकरणों की सूची निरीक्षण समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाए एवं एक प्रति S.B.T.E. को भी उपलब्ध कराया जाए।
 - iv संस्थान के प्राचार्य, प्रयोगशाला/कर्मशाला/वर्गाध्ययन-कक्ष पूरी तरह से well maintained and update रखेंगे।
 - v S.B.T.E. के वेबसाईट पर उपलब्ध प्रयोगशाला/कर्मशाला हेतु उपकरणों की सूची के अनुसार सभी निजी संस्थान अपने प्रयोगशाला/कर्मशाला में उपकरण/मशीन आदि अधिष्ठापित करेंगे।
 - vi संस्थान के छात्र/छात्राओं के परीक्षाफल के गुणवत्ता के उन्नयन हेतु आवश्यक समीक्षा एवं

कार्रवाई संस्थान अपने स्तर से करेंगे।

- (4) कोविड-19 के संक्रमण कम होने की स्थिति में अगले तीन माह के अंदर संस्थान का भौतिक सत्यापन करा लिया जाएगा। भौतिक सत्यापन के क्रम में **Deficiency** प्राप्त होने पर अभातशिप नई दिल्ली / कानपुर को इसकी सूचना दे दी जाएगी।
- (5) सत्र 2021-2022 के लिए ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली द्वारा निर्गत Extension of Approval (EOA) में अगर त्रुटियाँ अंकित हो तो उसका पूर्ण निराकरण निर्धारित समय सीमा के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

परीक्षा नियंत्रक,

सह सदस्य सचिव, संबंधन समिति।

ज्ञापांक :- आर.(एस.बी.टी.ई.)-01/2011 पार्ट-3- 1378

15/07/21

पटना, दिनांक :- 15.07.2021

- प्रतिलिपि :-
1. अध्यक्ष, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के आप्त सचिव।
 2. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।
 3. सदस्य सचिव, अभातशिप, सातवाँ तल्ला, चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली, 110 001.
 4. रिजनल ऑफिसर, राजकीय पोलिटेकनिक परिसर निकटस्थ प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, विकास नगर, कानपुर-208024 एवं
 5. राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक,

सह सदस्य सचिव, संबंधन समिति।

15/07/21